न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 13/2018

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2018/00108

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शिवगर वल्द विशनगर		1 तहसीलदार सांचौर
2 चेतनगर वल्द विशनगर		2 आसुगर वल्द विशनगर
3 भेमगर वल्द विशनगर		3 भावगर वल्द जोईतगर
कौम–स्वामी, निवासीगण–		4 सांवलगर वल्द जोईतगर
विरोल बड़ी, तहसील व जिला		5 भमरी बेवा जोईतगर
जिला–सांचौर (राज0)		6 शाखा प्रबंधक, युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 09.10.2018

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानदास वैष्णव उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.11.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने
जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश
किया कि वांके सरहद मौजा विरोल बड़ी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के शामलाती
खातेदारी के खेत खसरा संख्या 431 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/704 रकबा 0.
01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433/667 रकबा 0.34
हैक्टेयर, खसरा संख्या 502 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 503 रकबा 0.19 हैक्टेयर
जुमले रकबा 4.92 हैक्टेयर का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण 1 लगायत 3 व अप्रार्थी
संख्या 2 लगायत 5 का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 431 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 431/704 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433/667 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 432 रकबा 1.76 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.23 हैक्टेयर के पुराने खसरा संख्या 354 थे
तथा खसरा संख्या 502 रकबा 0.52 हैक्टेयर व 503 रकबा 0.19 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.69
हैक्टेयर के पुराने खसरा संख्या 355 थे। पुराने खसरा संख्या 354 व 355 दोनों एक चक थे
तथा खसरा संख्या 355 व 354 के उत्तर दिशा में पु[illegible] चल रहा था जिसके
पुराना खसरा संख्या 347 थे जिसके नये खसरा [illegible] 43[illegible] रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 501 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 504 रकबा [illegible] खसरा संख्या
पुराने रास्ता के 347 के रास्ता को [illegible] (खसरा संख्या 433, 501, 504) विभाजित
कर हमारे खेत खसरा संख्या 432 व 431 तथा 502 व 5[illegible] के बीच में गलत रूप से दि[illegible]
सेटलमेंट में खसरा संख्या 433 रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि वर्तमान
रास्ता मूल खसरा संख्या 501 व 504 है। उक्त खसरा संख्या 433 को हमारे खातेदारी के
खेतों के बीच में तरमीम कर दिया जो गलत है। वर्तमान में हमारे खेत खसरा संख्या 502,
503, 432, 431 के बीच में कोई रास्ता पहले भी न था तथा न ही आज मौके पर मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पुराने खसरा संख्या 354 नए खसरा संख्या 431 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/704 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 1.76 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 433/667 रकबा 0.34 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.23 हैक्टेयर है। खसरा संख्या 354 के पूर्व दिशा में कोई रास्ता नहीं था जबकि द्वितीय सेटलमेंट में भूल से हमारे खातेदारी खेत खसरा संख्या 354 के पूर्व दिशा में नवीन खसरा संख्या 433/667 रकबा 0.34 हैक्टेयर बना दिया है जो गलत है। उक्त भूमि रास्ता की न होकर हमारी खातेदारी की है। मौके पर पुराने खसरा संख्या 354 व 355 के बीच कोई रास्ता नहीं था और आज भी मौके पर नहीं है तथा जो पुराने खसरा संख्या 354 में पूर्वी भाग में नवीन खसरा संख्या 433/667 रास्ता बनाया है वो पहले न था तथा आज भी मौके पर नहीं है उक्त रास्ता हमारे खातेदारी भूमि से गलत तरमीम कर बनाया गया है जो गलत है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा विरोल बड़ी के खसरा संख्या नवीन 502 और 432 तथा खसरा संख्या 503 और 431 के बीच में जो राजस्व नक्शा में चक तोड़कर रास्ता खसरा संख्या 433 बनाया है उसे नक्शे में दुरूस्ती करके पुनः एक चक बनाने तथा खसरा संख्या 431 के पूर्व दिशा में जो प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा संख्या 433/667 रास्ता राजस्व रेकर्ड तथा जमाबंदी में द्वितीय सेटलमेंट में गलत बनाया है उसे दुरूस्त कर नक्शा में रास्ता हटाकर पुनः जमाबंदी में दुरूस्त कर हमारे नाम से खातेदारी दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा विरोल के पुराने खसरा संख्या 354, 355 एक चक न होकर अलग अलग खेत के थे जो सलंग्न पुराना राजस्व नक्शा से साबित है। पुराने राजस्व नक्शे अनुसार खसरा संख्या 354, 355 के उतरी माठ पर राजकीय रास्ता दर्ज था जिसके पुराने खसरा संख्या 347 थे। द्वितीय भू-प्रबंध से पूर्व प्रार्थी के खातेदारी खेत की माठ पर पुराने राजस्व नक्शा अनुसार एक ही राजकीय रास्ता था जिसके खसरा नंबर 347 थे। प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी खेत के पुराने खसरा संख्या 354 व 355 के उतरी माठ पर खसरा संख्या 347 रास्ता की भूमि आई हुई थी। द्वितीय भू प्रबंध के पश्चात नवसृजित खसरा संख्या 502 व 432 के बीच रास्ता भूमि खसरा संख्या 433 दर्ज है जो सेंटलमेंट से पूर्व की स्थिति से भिन्न है पूर्व के राजस्व रेकर्ड में दोनों खसरा नंबरान् के बीच कोई राजकीय भूमि या रास्ता इन्द्राज नहीं था। खसरा संख्या 354 के नवीन खसरा संख्या 431 के पूर्व दिशा में कोई रास्ता दर्ज नहीं था लेकिन इसी पुराने खसरा संख्या 354 से नवसृजित खसरा संख्या 433/667 रकबा 0.34 हैक्टेयर का गैर मुमकिन रास्ता द्वितीय भू प्रबंध के पश्चात राजस्व रेकड में प्रार्थीगण के खाते में दर्ज हुआ। रास्ता भूमि प्रार्थीगण के खाते में ही दर्ज है, लेकिन पूर्व में यह इन्द्राज नहीं था। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 354 पुराने एवं नवीन खसरा संख्या 431 में पूर्व की ओर अंकित खसरा संख्या 433/667 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पूर्व के राजस्व नक्शे में इन्द्राज नहीं था। वर्तमान में इसी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज कर दिया है जो पूर्व एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अन्तर को दर्शाता है। रास्ता भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में ही दर्ज होने से रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहरते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा विरोल बड़ी के खसरा संख्या नवीन 502 और 432 तथा खसरा संख्या 503 और 431 के बीच में जो राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा में चक तोड़कर रास्ता खसरा संख्या 433 बनाया है उसे नक्शा में दुरूस्ती कर पुनः एक चक बनाया जावे तथा खसरा संख्या 431 के पूर्व दिशा में जो प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा संख्या 433/667 रास्ता राजस्व नक्शा तथा जमाबंदी में द्वितीय भू–प्रबंध में बनाया गया है उसे दुरूस्त कर नक्शा में रास्ता हटाकर पुनः जमाबंदी में दुरूस्ती कर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावें।

राज पैरोकार सांचौर द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 354 पुराने एवं नवीन खसरा संख्या 431 में पूर्व की और अंकित खसरा संख्या 433/667 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पूर्व के राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं था। वर्तमान में इसी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज कर दिया है जो पूर्व एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अन्तर को दर्शाताा है। रास्ता भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में ही दर्ज होने से रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–2031, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत 2071–2075, पुराना नक्शा ट्रैश, वर्तमान नक्शा ट्रैश का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–2031 में खेत खसरा संख्या 354 रकबा 4.22 व खसरा संख्या 355 रकबा 0.6070 जिसके नवीन खसरा संख्या 431, 432, 502, 503, 431/704, 433/667 नवसृजित है, परन्तु पुराना खसरा संख्या 354 व 355 जो पुराना नक्शा ट्रेश अनुसार दोनों खसरा संख्या के बीच कोई रास्ता दर्शित नहीं है, परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रैश में दोनों खसरा संख्या के बीच रास्ता दर्शित कर खसरा संख्या 433 रकबा 0.35 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया एवं प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 433/667 की किस्म बारानी दोयम से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने से राजस्व रेकर्ड में अंतर दर्शित होने से प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से उक्त त्रुटि को सुधारा जाना न्याय संगत होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि वांके सरहद मौजा विरोल बड़ी के खसरा संख्या 433/667 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातें में दर्ज कर किस्म बारानी दोयम दर्ज करें तथा वर्तमान राजस्व नक्शें में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता नवीन खसरा संख्या 433 की तरमीम खसरा संख्या 502 व 503 की उतरी माठ पर चल रहे रास्ता खसरा संख्या 501 एवं 504 के सहारे–सहारे करते हुए तरमीम शुद्ध कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **08.11.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner